हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा) -176213

क्रमांकःहिशिबो(22)संचालन- I/दरें/2020-2173-272 दिनांकः 15/01/2020

"अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड की 115वीं बैठक दिनांक 19.11.2019 की कार्यवाही की मद संख्याः19(6)2 के अन्तर्गत बोर्ड ने वित्त समिति की सिफारिश पर CCTV कैमरों के बैक–अप व जीवन्त संचालन के निरीक्षण के सहायतार्थ सम्बधित विद्यालय के PGT(IP) या IT अध्यापक या उनकी नियुक्ति न होने पर कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले अध्यापक को तकनीकी पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा पर्यवेक्षक के समान पारिश्रमिक प्रदान करने के बारे में Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations-1994 के अध्याय 9-CONDUCT OF EXAMINATION में उप नियम–9.6.2 के रुप में निम्न प्रावधान के समावेश करने का निर्णय लिया हैः–

9.6.2 PGT(IP) or IT teacher or in his absence, computer knowing teacher can be appointed as technical invigilator to ensure smooth functioning of CCTV cameras and keep intact back up data of live recording, Technical Invigilator will be paid remuneration at the rates fixed for other invigilators.

उक्त के अतिरिक्त केन्द्र में परीक्षार्थी संख्या 25 तक केवल एक उपाधीक्षक ही व उससे अधिक संख्या पर प्रत्येक 25 परीक्षार्थी संख्या के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का मापदण्ड निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हि.प्र. सरकार, शिमला–171002.
2. विशेष निजी सचिव/निजी सहायक, अध्यक्ष/सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड ।
3. निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला को उपरोक्त निर्णय को हि०प्र० संरकार के राजपत्र तथा E-Gazette में प्रकाशित करने हेतू।
5. अति०सचिव/संयुक्त सचिव/समस्त उप तथा सहायक सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. संयुक्त नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा/लेखा परीक्षा, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को पैरा संख्याःहि.शि.बो- (2)/सा०/115वीं बैठक/पैरा/2019-483-508 दिनांक 9.2.2020 के संदर्भ में निर्णय की अनुपालना हेतु सूचनार्थ।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रबन्धक, स्कूल शिक्षा बोर्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, आई०टी०सैल को बोर्ड वैबसाईट पर अपलोड करने हेतू।
10. लोक सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा बोर्ड।

सचिव